भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2059

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मेट्रो रेल किराए का निर्धारण

†2059. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल किराया तय करने के लिए प्रक्रिया और उत्तरदायी प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या मानदंड या मापदंड रखे गये हैं;
(ख) क्या मेट्रो रेल किराया निर्धारण समिति इस किराए की समय-समय पर समीक्षा करती है और किराए में बदलाव की सिफारिश करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी समीक्षा कितने समय-अंतराल पर की जाती है;
(ग) मेट्रो परिचालन, विज्ञापन और वाणिज्यिक स्थलों से प्राप्त राजस्व और लाभ को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और मेट्रो निगमों के बीच किस प्रकार साझा किया जाता है; और
(घ) बेंगलुरु मेट्रो (बीएमआरसीएल) द्वारा अपनाए गए किराया संशोधन और राजस्व-साझेदारी मॉडल का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यात्रियों के लिए वित्तीय स्थिरता और वहनीयता में सुधार लाने के लिए कोई बदलाव विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और **(ख)** किराया निर्धारण मेट्रो रेलवे (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के मौजूदा उपबंधों के अनुसार किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों वाली किराया निर्धारण समिति का गठन किया जाता है।

(ग) और **(घ)** मेट्रो प्रचालनों**,** विज्ञापनों और वाणिज्यिक स्थानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का प्रयोग प्रचालन व्यय और ऋण अदायगी के लिए किया जाता है। कंपनी के लाभ और हानि खाते

के आधार पर, किराए और गैर-किराए राजस्व की सकल प्राप्ति से समस्त अनुमेय पूंजीगत, प्रचालन लागतों और स्वीकार्य मूल्यह्रास की कटौती के बाद जब कर पश्चात लाभ (पीएटी) हो तभी उस लाभ को केंद्र और राज्य सरकार के साथ समान रूप साझा किया जाएगा। संशोधित किराए की जानकारी अनुलग्नक में दी गई है।

(**ड.**) किराया निर्धारण समिति द्वारा सिफारिशें करते समय यात्रियों के वित्तीय सामर्थ्य के पहलू को ध्यान में रखा जाता है।

अनुलग्नक-1

पहली किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किराया, जिसे बीएमआरसीएल द्वारा 09/02/2025 से लागू किया गया है:

किराया क्षेत्र	दूरी- आधारित स्लैब (किमी)	बीएमआरसीएल किराया
एफ1	0-2	10
एफ2	2-4	20
एफ3	4-6	30
एफ4	6-8	40
एफ5	8-10	50
एफ6	10-15	60
एफ7	15-20	70
एफ8	20-25	80
एफ9	25-30	90
एफ10	>30	90

नोट: नीचे दी गई छूट लागू हैं।

1. स्मार्ट कार्ड पर 5% की छूट।
2. रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर, सभी दिनों में ऑफ-पीक घंटों के दौरान स्मार्ट कार्ड प्रयोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट।
3. रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर स्मार्ट कार्ड प्रयोक्ताओं को 10% की छूट।

*****